सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

आषाढ 23, बुधवार, शाके 1943- जुलाई 14, 2021
Asadha 23, Wednesday, Saka 1943- July 14, 2021

**भाग-1 (ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।**

**सांख्यिकी विभाग**

**परिपत्र**

**जयपुर, जुलाई 13, 2021**

**संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र एवं जनगणना कार्य निदेशालय से प्राप्त पत्र के दिशानिर्देशानुसार भारत की जनगणना- 2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।**

**कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र क्रमांक एफ.प.5(64) सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/185 दिनांक 09.02.2021 द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 से बढाकर 31 मार्च, 2021 तथा परिपत्र क्रमांक एफ.प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/499 दिनांक 11.05.2021 द्वारा 31 मार्च, 2021 से बढाकर 30 जून, 2021 कर दी गई।**

**कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों स्थिरीकरण की समय सीमा पुन: 30 जून, 2021 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2021 की जाती है ।**

**इसे आवश्यक समझा जावें ।**

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
**निरंजन आर्य,**
**मुख्य सचिव ।**

**------------------**

**8341**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।**